रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

Central Secretariat Library

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

**PART II—Section 3—Sub-section (ii)**

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 10, 1975/पौष 20, 1896

No. 16] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 10, 1975/PAUSA 20, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation**

## CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

### NOTIFICATION

INCOME-TAX

*New Delhi, the 10th January 1975*

**S.O. 25(E).**—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Amendment) Rules, 1975.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 1975.

2. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962, in Form No. 3, in PART I of ANNEXURE D, in item 6, the figures, letters and word "80MM to" and the words abbreviation, figure and letter "and attach Form No. 3C, if applicable" shall be omitted.

[No. 814/F. No. 142(41)/74-TPL]

O. P. BHARDWAJ,

Secy., Central Board of Direct Taxes.

## केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

### अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 1975

**का० आ० 25 (अ).**—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (संशोधन) नियम, 1975 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 1975 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं० 3 में, उपबन्ध घ के भाग 1 में मद 6 में, "80 ड ड" अंकों, अक्षरों और शब्दों के स्थान पर 80 ण अंक और अक्षर रखे जायेंगे तथा "और प्ररूप सं० 3 ग, यदि लागू है, संलग्न करें ।" शब्दों, संकेताक्षर, अंक और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

[सं० 814/फा० सं० 142(41)/74-डी० पी० एल०]

ओ० पी० भारद्वाज,

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975